## कार्यालय अधिशासी अभियन्ता पी.एम.जी.एस.वाई.सिचाई खण्ड उत्तरकाशी

पत्रांकः 1222/ पी.एम.जी.एस.वाई.सि.ख.उ.का./17सी/

दिनांक 21 | 9 | / 2017

सेवामें.

प्रभागीय वनाधिकारी. उत्तरकाशी वन प्रभाग, कोट बंगला उत्तरकाशी।

विषय:-

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून के द्वारा डी० टी० मोटर मार्ग से कुमारकोट मोटर मार्ग FP/UK/ROAD/9590/2015 पर ऑनलाइन आपत्ति दिनांक 16-09-2017 के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना क्रें अन्तर्गत डी० टी० मोटर मार्ग से कुमारकोट मोटर मार्ग स्वीकृत है। जिस हेतु उपरोक्त मोटर मार्ग का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑनलाइन किया गया था, जिसका परपोजल संख्या FP/UK/ROAD/ 9590/ 2015 है। जिस पर कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून के द्वारा दिनांक 16-09-2017 के द्वारा ऑनलाइन आपत्ति प्राप्त हुई है, उक्त आपत्तियों का ऑनलाइन निराकरण कर पुनः प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड,

उत्तरकाशी

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून की ऑनलाइन आपत्ति दिनांक 16.09.2017 के अनुपालन में निराकरण इस प्रकार है।

1	In reply of this office EDS dated 02-02-2016 point 7, the KML. File is still not corrected as in the DSS analysis the area calculated of the CA area is 0.35 Ha while the area proposed for CA is 3.78 ha. The state Govt may revise the KML exact to the scale.	upload की गई थी, वह IT सेल से दोबारा नये
2	In reply of this office EDS dated 02-02- 2016 point 10, the digital map of area proposed for CA uploaded does not serve the purpose. The state Govt may provide/upload GIS software generated revised map in designated place in online part I.	Point No-10 के सापेक्ष GIS Software के झारा CA के लिए Digital map IT सेल से बनाकर upload कर दिया गया है। Point No-9 के सापेक्ष Geo-Reference map IT सेल से बनकर upload कर दिया गया है।
3	In reply of this office EDS dated 02-02- 2016 point 13, the total number of trees proposed to be felled are mentioned as 266 while in the reply of state Govt is 296. The discrepancy is still not corrected on online part II.	Point No-13 के सापेक्ष पातन किये जाने वाले वृक्षों की संख्या 269 है। Part-II DFO कार्यालय द्वारा भरा जाएगा।
4	In reply of this office EDS dated 02-02- 2016 point 14, and 16, the state govt provided the information /clarification is not correct. The state govt may review the density of the area proposed for diversion in view of the tree proposed to be felled and the correct information regarding CA stipulation in the district may provide again in online part II.	Point No-14 & 16 के सापेक्ष वृक्षों की Density Part-II में DFO कार्यालय द्वारा भरी जाएगी जो कि सघन वन है, एवं घनत्व 0.6 है।

Cispisht TE

Shafe AF

LOS.